10
ठेका श्रम

10.1 भारत में ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है जिन्हें प्रयोगकर्ता एंटरप्राइज के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है । यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण व विकसित होता हुआ स्वरुप है । इन कामगारों की संख्या करोड़ों में है और ये मुख्य रूप से कृषि कार्य, बागानों, निर्माण उद्योग, पोत एवं बंदरगाह, तेल क्षेत्र, फैट्रियाँ ,रेलवे, जहाजरानी, विमान सेवा, सड़क परिवहन आदि के कार्य में लगे हैं ।

10.2 ठेका श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का गठन इन कामगारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। इसमें कतिपय प्रतिष्ठाों में ठेका श्रम के ियोजा के विियमा और कुछ प्रतिष्टाों में इसको उत्सादा का प्रावधाा किया गया है । श्रम यह ऐसी प्रत्येक स्थापना/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हों । यह सरकार एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों की स्थापनाओं पर भी लागू होता है ।

10.3 केन्द्र सरकार का रेलवे, बैकों, खानों आदि जैसी स्थापनाओं पर नियंत्रण है तथा राज्य सरकारों का उस राज्य में स्थित यूनिटों पर नियंत्रण रहता है ।

10.4 केन्द्र एवं राज्य सरकारों के परामर्श बोर्ड, जिसमें सरकार, नियोक्ताओं एवं कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सम्बन्धित सरकारों को अधिनियम के प्रशासन के दौरान सामने आने वाले मामलों, जो कि उन्हें भेजे जाते हैं, मुख्य रूप से स्थापनाओं में ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन के प्रश्न पर, सुझाव देते हैं ।

10.5 केन्द्रीय परामर्श ठेका श्रम बोर्ड जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है का पुनर्गठन 24 जून, 2002 को किया गया तथा गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष तक पद पर बने रहते हैं । बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. एस.बालकृष्णम राजू को 10 जूा, 2005 को ,तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित हुईं तथा 63वीं बैठक 30-31 अगस्त, 2005 को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में आयोजित की गई ।

10.6 बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने पूर्वी रेलवे के बांदेल और श्रीरामपुर रेलवे स्टेशाों, ई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञा संस्थाा तथा कोलकता पत्ता यास, कोलकता में पार्सल हैंडलिंग कार्यों; लिफ्टों, जोरेटरों तथा पाी पंपों के प्रचाला और दैीक रखरखाव ; रेलवे ट्रैकों के स्लीपर -ावीकरण, मरम्मती, बहाली तथा ट्रैक बिछाो और संबद्ध करो जैसे कार्यों के लिए ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

10.7 अधिनियम के अंतर्गत स्थापनाओं को पंजीकरण कराा तथा ठेकेदारों को लाइसेंस लेाा होता है। ठेका श्रमिकों के मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित हितों को सुरक्षित रखा जाता है । ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएँ तथा कार्य करने के स्थान पर पीने के पानी आदि जैसी अन्य मूल आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाया जाना शामिल है। मजदूरी तथा अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है और ऐसा न होने पर प्रधाा नियोक्ता की होती है ।

10.8 आपातकालीन स्थिति किसी स्थापना अथवा ठेकेदार को अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने से छूट दी जाती है । भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धाबाद को उन ठेका श्रमिकों की रोजगार निषेध सम्बन्धी अधिसूचना लागू करने से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है जो कोयला ढ़ोने/या ढ़ोा के साथ-साथ बेचो आदि जैसे कार्यों में संलग्न हो, बशर्ते उन्हें दी जा रही मजदूरी न्यूातम मजदूरी अधिियम के तहत सरकार द्वारा िर्धारित मजदूरी और ियमित श्रमिक की िमतम श्रेणी को देय मजदूरी, याी, राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझोते की श्रेणी-I,जिसमें मूल वेता के साथ मंहगाई भत्ता, भविष्य िधि लाभ और कोयला कंपी की कोलियरी डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधायें शामिल हैं, के बीच-बीच में हों । इसी प्रकार, कोलकाता के मेट्रो रेल को भी चेकिंग

सहायक के कार्य में ठेका श्रम के नियोजन को निषिद्ध करने वाली अधिसूचना की अप्रयोज्यता से 5 अगस्त, 2006 तक छूट प्रदान की गई है बशर्ते ठेका श्रमिकों को प्रति 8 घंटे के लिए देय मजदूरी प्रतिदिन 129 रू. से बढ़ाकर 140 रू. प्रतिदिन की जाए ।

10.9 केन्द्रीय परिधि में मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) एवं उनके अधिकारियों की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) को अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया । प्रवर्तन कार्रवाई दर्शाने वाली विवरणी तालिका 10.1में दी गई है ।

10.10 बहुत सी न्यायिक घोषणाओं से भी भारत में ठेका श्रम कानून को बल मिला है । ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में ठेका श्रमिकों की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । एयर इण्डिया मामले (1996) में न्यायालय ने कहा कि ठेका श्रम पर रोक लगाने की कार्रवाई में, मूल नियोक्ता पर ठेका श्रमिक को समाविष्ट कर लेने का सांविधिक दायित्व बन जाता है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) मामले (2001) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने एयर इण्डिया के फैसले को रद्द कर दिया तथा कहा कि मूल नियोक्ता की स्थापना में ठेका कामगारों के समाविष्ट होने के निदेश औद्योगिक निर्णायक, केवल तभी देगा जब ठेका जाली अथवा नकली हो । प्रामाणिक ठेकों के मामले में प्रधान नियोक्ता के लिए आवश्यक है कि वह नियमित नियुक्ति के लिए ठेका कामगारों को प्राथमिकता दे, यदि मूल नियोक्ता नियमित कामगारों के द्वारा निषेधात्मक कार्य को करवाने की कोशिश करता है ।

भारत में ठेका श्रम

तालिका 10.1

<u>ठेका श्रम का प्रवर्तन (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970</u>

क्रम सं.	विषय	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1.	मूल नियोक्ताओं को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	796	720	590
2.	ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	7081	6778	7277
3.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	5970	4991	4540
4.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	90156	71632	59301
5.	किए गए अभियोजनों की संख्या	3453	3896	3356
6.	†पराधों की संख्या	2188	2072	2018
7.	लाइसेंस द्वारा कवर्ड ठेका श्रमिकों की संख्या	1327298	853690	968792
8.	रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या	6552	4014	6601
9.	रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	-----	52	08